



यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538

ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002

पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22 / 151 / 2020

दिनांक : 25.09.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

सेवानिवृत्तों के लिए समूह चिकित्सा बीमा नीति

उपरोक्त विषय में हम एआईबीईए केन्द्रीय कार्यालय द्वारा परिपत्र संख्या 28/237/2020/75 दिनांक 24.9.2020 का अनूदित सार अपनी सभी इकाईओं एवं सदस्यों की सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

सेवानिवृत्तों के लिए समूह चिकित्सा बीमा नीति

जैसा कि पहले ही सूचित किया गया है, इस वर्ष, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम दर की सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी है और तदनुसार, सेवारत कर्मचारियों और सेवानिवृत्तों दोनों के लिए बीमा नीति उनके साथ नवीनीकृत की जाएगी। सेवानिवृत्तों की नीति 1.11.2020 से नवीनीकृत होगी। प्रीमियम दरें निम्नानुसार होंगी :

	सेवानिवृत्त- कामगार रु. 3 लाख के लिए	सेवानिवृत्त- अधिकारी रु. 4 लाख के लिए
सामान्य - टॉप अप/घरेलू उपचार के बिना		
प्रीमियम	20508	27342
जीएसटी	3692	4922
कुल	24200	32264
सामान्य + सुपर टॉप अप	3 + 4 = 7 लाख	4 + 5 = 9 लाख
प्रीमियम	24951	32896
जीएसटी	4492	5922
कुल	29443	38818

सामान्य + घरेलू उपचार बिना टॉप अप के		
प्रीमियम	50893	67853
जीएसटी	9161	12214
कुल	60054	80067
सामान्य + घरेलू उपचार + सुपर टॉप अप		
प्रीमियम	55336	73407
जीएसटी	9961	13214
कुल	65297	86621

नोट : जो लोग अभी इस नीति के सदस्य नहीं हैं, उन्हें अब नीति में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी।

बैंक सेवानिवृत्तों से विकल्प के लिए और प्रीमियम के भुगतान के लिए उनके खाते से डेबिट प्राधिकार के लिए पूछते हुए अपने परिपत्र जारी करेंगे।

अभिवादन सहित,

आपका साथी,
ह०..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री